

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि० न० -128/2019

अनवान : -

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. पवन पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

:- वादीगण

ब नाम

1. सहीराम पुत्र शादीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. संतोष पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण संतवीर पुनियां की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही चक 9 एमआरएन खाता सं० 111/102 के मु० न० 29 के किला न० 21, मु० न० 30 के किला न० 25, मु० न० 33 के किला न० 6/2, मु० न० 34 के किला न० 1, 10 कुल 1.227 है० नहरी मय रास्ता खाला व चक 7 एमआरएन के खाता सं० 94/89 मु० न० 8 किला न० 13/2 की कुल 0.114 है० नहरी तथा चक 6 एमआरएन के खाता सं० 114/111 मु० न० 61 के किला न० 2, 9, 10, 11/1, 12/1, मु० न० 62 के किला न० 6/1, 15/1 की कुल 1.656 है० नहरी बरानी मय खाला खातेदारी प्रतिवादी सहीराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 प्रत्येक 1/5-1/5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/5/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



4
(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़